भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2492

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (शक)

पालघर में कौशल विकास के लिए जनजातीय उत्कृष्टता केंद्र

†2492. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजाति-बहुल पालघर जिले में, विशेषकर तारापुर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में तेज़ी से हो रहे औद्योगिक विकास और आगामी वधावन पत्तन परियोजना के मद्देनजर कौशल की कमी और रोज़गार की संभावनाओं का कोई आकलन किया है;

(ख) क्या सरकार का पालघर में संभारतंत्र, पत्तन संचालन, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखरेख, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किए जाने और कौशल विकास के लिए एक जनजातीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का पालघर में कार्यरत उद्योगों के लिए स्थानीय जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षुता और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाने को अनिवार्य बनाने या इसे प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के

जरिए महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह संचालन, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवाचर्या, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों सहित उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। कुछ पहलों में शामिल हैं:

कौशल अंतर का आकलन: जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के लिए जिला कौशल योजना और कौशल अंतर विश्लेषण ढांचे के माध्यम से किए गए जिला स्तरीय कौशल मूल्यांकन और नियोजन कवायद में उद्योग और नियोक्ता की मांग को समझने, सूक्ष्म कौशल अंतर विश्लेषण करने और कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय रोजगार अवसरों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता की पहचान की गई। वर्ष 2024-25 के लिए डीएसडीपी में जिले में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग की मांग का एकत्रीकरण, नियोजन अभियान, शिक्षुता संवर्धन, उद्यमिता विकास और कौशल अंतर अध्ययन का आह्वान किया गया है। मूल्यांकन में जिले में रोजगार संभावना वाले कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें कृषि, ऑटोमोटिव, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, आईटी-आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, विद्युत, पर्यटन और आतिथ्य, अवसंरचना उपकरण और ग्रीन जॉब्स आदि शामिल हैं। ये निष्कर्ष कौशल विकास हस्तक्षेपों की योजना बनाने और क्षेत्र के आदिवासी युवाओं सहित स्थानीय युवाओं की नियोजनीयता में सुधार के लिए उपयोगी हैं।

उत्कृष्टता केंद्रों की मान्यता के लिए दिशानिर्देश: एमएसडीई ने कौशल भारत के तहत उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की मान्यता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पहल के अंतर्गत, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में स्थायी और सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे वाले संस्थानों को सीओई-कौशल के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इन सीओई-कौशलों का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करना, बेहतर प्रशिक्षण परिणाम सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित कौशल विकास और शिक्षा के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित करना है।

उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता में परिवर्तन: सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये के पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता में परिवर्तन) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाना है। इस योजना का कुल परिव्यय 60,000 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा - 30,000 करोड़ रुपये, राज्य हिस्सा - 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग हिस्सा - 10,000 करोड़ रुपये), जिसके दो घटक हैं। घटक-I के तहत, हब और स्पोक मॉडल में 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल सामग्री और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नए

पाठ्यक्रम शामिल हैं। घटक II के तहत, पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता संवर्धन की परिकल्पना की गई है, जिसमें कौशलीकरण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, वैश्विक साझेदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की गुणवत्ता और प्रासंगिकता का उन्नयन करने के लिए महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएम-सेतु योजना लागू की जा रही है। राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी) द्वारा प्रस्तुत छह (6) कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें से तीन तेलंगाना से, एक आंध्र प्रदेश से, एक ओडिशा से और एक गुजरात से हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पीएम-सेतु योजना के तहत तीन (03) क्लस्टर चिन्हित किए हैं, जिनमें नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर और पुणे जिलों में हब आईटीआई स्थित हैं।

शिक्षुता नियोजन: एनएपीएस आंशिक वजीफा सहायता, शिक्षुता इको सिस्टम के क्षमता निर्माण और हितधारकों तक पहुंच के माध्यम से शिक्षुता में नियोजन को बढ़ावा देता है। एनएपीएस प्रतिष्ठान द्वारा दिए जाने वाले वजीफे के 25% के बराबर वजीफा सहायता प्रदान करता है, जो प्रति शिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपए तक सीमित है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे शिक्षु के बैंक खाते में जमा की जाती है। यह योजना जनजाति युवाओं सहित सभी पात्र युवाओं के लिए खुली है और शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग-संबंधी कौशल और व्यावहारिक कार्यस्थल अनुभव प्राप्त करने में सहायक है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक) की अवधि में, एनएपीएस के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले में 243 प्रतिष्ठानों द्वारा कुल 12,499 शिक्षुओं को नियोजित किया गया है। इसी अवधि के दौरान, महाराष्ट्र भर में 8,402 संस्थानों द्वारा इस योजना के तहत 10,88,818 शिक्षुओं को रोजगार दिया गया है।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय: कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।
ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।

iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

v. पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

viii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के अधिक एकीकरण की परिकल्पना करती है तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गों के बीच निर्बाध गतिशीलता को बढ़ावा देती है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित 'शिक्षुता अंतर्निहित उपाधि कार्यक्रम' (एईडीपी) उपाधि (डिग्री) और पत्रोपाधि (डिप्लोमा) कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करता है और उद्योग-प्रासंगिक कौशलों के अर्जन को सुगम बनाता है।

ix. कौशल मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।
